निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 21/अपील/21

रामलाल आ0 मांगीलाल दॉगी नि0 कचराखेड़ी तहसील रायपुर (अपीलान्ट)
बनाम
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रायपुर (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रायपुर दिनांक 18.06.2021 तहत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री पूरीलाल राठोर, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांकः 24.08.2021**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के आदेश दिनांक 18.06.2021 जो मिसल न0 01/21 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम कचराखेड़ी में स्थित राजकीय भूमि ख0न0उ 398 रकबा 01 बिस्वा पर अतिक्रमी मानकर 45 दिवस का सिविल कारावास व 2/–रू शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अपीलान्ट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर तार फेंसिग नही है। अपीलार्थी को प्रतिपरीक्षण का अवसर नही दिया गया है। अपीलार्थी को जमीन मौके पर नापकर नही बताया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है व पेनल्टी की राशि जमा करवा दी गई है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही है । अपीलान्ट अपने पक्ष के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा गे0मु0रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न0 615 निर्णय दिनांक 21.12.2020 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है व कब्जा हटा होने बाबत पटवारी हल्का द्वारा जारी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे की जॉच कर सुनवाई पश्चात पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़